

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तरिसठ'

[5/12/2017]

प्रश्न सं. [क. 2104]

माननाय तथा प्रयोग
विद्यालय महाराष्ट्र अधिकारी
अधिकारी 2104

सदृश विद्यालय
सदृश विद्यालय

माननाय
विद्यालय
माननाय
विद्यालय

ज्ञानांक ५०५४३ / 2017 / त्रिमूळ

भोपाल दिनांक 6 SEP 2017

प्राप्ति,

- प्रबंध संचालक,
एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर।
- प्रबंध संचालक,
म.प्र. पूर्ण/पाठ्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

CCM (CLM)

विषय- गिरजाघरी की बकाया राशि के कारण ब्रेंड ट्रासफार्मर से विलिंग के संबंध में विवाद।

किसी वितरण ट्रासफार्मर के

- (i) जलने/खराब होने या
शत प्रतिशत राशि बकाया होने से स्थल रो होने जाने
के कारण उसे घटाने/पुनर्खापित करने के पूर्व निर्धारित राशि का जमा किया जाना आवश्यक है।
प्रतिशत वितरण ट्रासफार्मर से सदर्भ 75 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान
करने अथवा कुल बकाया राशि का 40 प्रतिशत जमा होने पर उसे बदला जाता है।

2/ राज्य शासन के समक्ष यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ है कि उपरोक्त बिन्दु कमांक (i) में उल्लेखित दोनों परिस्थितियों में या उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय नहीं होने पर भी उस अवधि के लिए भी बिल दिया जाना चाहिए?

इस बिन्दु पर निम्न निर्देश प्राप्ति दिए जाते हैं—

- (क) उपरोक्त वर्णित दोनों परिस्थितियों में अगर विद्युत प्रदाय लगातार 18 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए बद रहता है, तो ऐसे मात्रायुपत उपभोक्ता, जिन्होंने भुगतान में चूक नहीं की है, की विलिंग इस अवधि के लिए विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की काउका 11.3 के अनुसार की जाये। यह कड़िका निमानुसार है :—

कड़िका 11.3 :-

‘ऐसा उपभोक्ता, जो एक कैरेंजर माह के दौरान दस दिवस की निरन्तर अवधि के लिए (जिसमें विद्युत प्रदाय में 00.00 से 24.00 बजे तक की कटौती की गई हो) या इससे अधिक अवधि हेतु किसी अनुबंध के अन्वयन अथवा चूककर्ता न हो तो, अनुज्ञापितारी उपभोक्ता से निमानुसार विद्युत प्रदाय वसूल करेगा—

- (अ) ऊर्जा प्रभारों की वसूली भापयंत्र (बीटर) गें अंकित वास्तविक खपत के आधार पर की जाएगी।
(ब) अन्य प्रभारों (विद्युत शुल्क और उपकर को छोड़कर) की वसूली उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय दिवस की संख्या के आधार पर आनुपातिक दर के अनुसार की जाएगी।

-2-

सत्य प्रतिलिपि

उप महाप्रबंधक (कार्यपाली दी दी)
म.प्र. पूर्ण क्षेत्र विविकलि.
जबलपुर

शिवानन्दभा अमारापुरि, ५६७३००२ २१०४ ५७-३८
२२

यह सूचियों के बीच ऐसे उपभोक्ताओं को ही प्रदान की जाएगी जिनके संधाजन मापदंडों से युक्त (Metered connections) हैं।

(ख) यह और कि अन्य संवद्ध अपेक्षीकृत उपभोक्ता, जिन्होंने भुगतान में चूक नहीं की हो, के लिए लगातार दस दिन या अधिक अवधि के लिए विद्युत प्रदाय बंद रहने पर ऐसी अवधि की विलिंग निम्नानुसार की जाए —

(अ) कर्जा प्रभार की विलिंग : निर्धारित भासिक खपत (Norms) के अनुसार प्रयोज्य मासिक ऊर्जा प्रभार के विद्युत प्रदाय दिवस संख्या के आधार पर आनुपातिक राशि (Pro-rata amount) के अनुसार।

(ब) अन्य प्रभार की विलिंग : विद्युत प्रदाय सहित, 2013 की कंडिका 11.3 (ब) के अनुसार।

(ग) यह और भी, कि अन्य संवद्ध उपभोक्ता, जिन्होंने भुगतान में चूक की हो, की विलिंग अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान प्रदलेता टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार फिरस्त चार्ज, न्यूनतम प्रभार, मीटर किलोग्रा के लिए की जाए। ऐसे उपभोक्ता के द्वारा आवेदन प्रत्युत करने पर यह जोग की जाए कि वह उसी जले/खराब ट्रांसफार्मर से सबद्ध था तथा ऐसा निश्चित होने के उपरांत ही उक्तानुसार विलिंग की जाए।

3/ कृपया उक्तानुसार विलिंग की व्यवस्था के लिए विलिंग साप्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किया जाए। साथ ही मेदानी स्तर से ट्रांसफार्मर खराब होने एवं उठाये जाने तथा पुनः स्थापित किए जाने की सूचना तत्परता से संबंधित को प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे कि विलिंग अनावश्यक रूप से बंद न रहे एवं कपनियों को कोई सञ्चरण होने न हो।

4/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का मेदानी स्तर तक कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

इकबाल सिंह दैस
उपसचुद्ध सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

सत्य प्रतिलिपि

उप महाप्रबंधक (कार्य-ए डी बी)
म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
जबलपुर

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, द्वारका

विद्युत तंत्रज्ञान अनुसंधान परिषद् २००४
 मानवीय विचायक श्री गद्वेश कुमार आहरगार पुणे - ४११००५
 म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता २०१३ दोष अंदाज ०५/१२/१७

अध्याय-11-विविध मामले (Miscellaneous)

आकस्मिक विशेष परिस्थितियाँ (Force Majeure)

- 11.1 यदि विद्युत प्रदाय व्यवस्था के विफल हो जाने पर उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की इनि, क्षति, अथवा क्षतिपूर्ति के लिये किये गये दावे के प्रति अनुज्ञाप्तिधारी उत्तरवादी नहीं होगा यदि विद्युत प्रदाय व्यवस्था प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, सैनिक विद्रोह, गृहयुद्ध, दंगे, आतंकवादी हमले, बाढ़, अग्निकाण्ड, हड्डताल, तालाबंदी, तूफान, झंझावत (tempest), तडित, भूकंप या दैवीय प्रकोप या केन्द्र/राज्य सरकार की किसी कार्यवाही के कारण घटित हुई हो।
- 11.2 यदि अनुज्ञाप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य किये गये किसी अनुबंध के चालू रहते किसी भी समय, उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग, किसी भी समय विशेष आकस्मिक परिस्थितियों, जैसे कि युद्ध, सैनिक विद्रोह, गृहयुद्ध, दंगे, आतंकवादी हमले, बाढ़, अग्निकाण्ड, हड्डताल (अम आयुक्त द्वारा प्रमाणित किये जाने के अध्यधीन), तालाबंदी (अम आयुक्त द्वारा प्रमाणित किये जाने के अध्यधीन), तूफान, झंझावत, तडित, भूकंप या दैवीय प्रकोप, केन्द्र/राज्य सरकार की कतिपय कार्यवाही, आदि जो उपभोक्ताओं के नियंत्रण में नहीं हैं, के कारण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संभव न हो पाये तो उपभोक्ता ऐसी परिस्थिति के बारे में अनुज्ञाप्तिधारी को 7 पूर्ण दिवस की लिखित सूचना देकर, सुरक्षित वोर्टेज रत्तर पर सविदा मांग की आवश्यक एवं शक्य अनुमत सीमा में घटाई गयी मात्रा में विद्युत प्रदाय प्राप्त कर सकेगा। ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां उपभोक्ता विशेष आकस्मिक परिस्थितियों से संबंधित कोई दावा करता हो, वहां अनुज्ञाप्तिधारी का प्राधिकृत प्रतिनिधि इसका सत्यापन करेगा। उपभोक्ता को इस प्रकार की सुविधा केवल उसी दशा में उपलब्ध होगी यदि घटाई गई विद्युत प्रदाय की मात्रा न्यूनतम दस निरन्तर दिवस तथा अधिकतम ७: माह के लिये हो। उपरोक्त घटाई गई विद्युत प्रदाय की अवधि को किसी अनुबंध हेतु उपभोक्ता के प्रारंभिक अनुबंधकाल में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि अनुबंध को इस कम मात्रा की कालावधि की बराबर अवधि के लिये आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार की सुविधा के बारे में जिसका उपभोक्ता द्वारा लाभ उठाया जाएगा, की संख्या के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु इसकी कालावधि ऐसे समस्त अवसरों के लिये अधिकतम कुल ७: माह के अध्यधीन होगी।
- 11.3 ऐसा उपभोक्ता, जो एक कैलेंडर माह के दौरान दस दिवस की निरन्तर अवधि के लिये (जिसमें विद्युत प्रदाय में ०० से २४०० बजे तक की कटौती की गई हो) या इससे अधिक अवधि हेतु किसी अनुबंध के अन्तर्गत, अन्यथा, चूककर्ता न हो तो अनुज्ञाप्तिधारी उपभोक्ता से निम्नानुसार विद्युत प्रभार वसूल करेगा :
- (अ) ऊर्जा प्रभारों की वसूली मापदण्ड (मीटर) में अकित वास्तविक खपत के आधार पर की जाएगी।
 - (ब) अन्य प्रभारों (विद्युत शुल्क और उपकर को छोड़कर) की वसूली उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय दिवस संख्या के आधार पर आनुपातिक दर के अनुसार की जाएगी।
- यह सुविधा केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही प्रदान की जाएगी जिनके संयोजन मापयन्त्रों से युक्त (metered connections) हैं।